कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः प्रशा–डी–III–8803/2656 दिनांकः 08/01/2024.

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन तथा वन्य प्राणी विभाग,
चण्डीगढ़ ।

विषय : Diversion of 0.5118 ha. of forest land for passage to Gram Panchayat Devdhar to Belgarh, Tehsil Chhachhrauli, under forest Division and District yamunanagar, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Road/40068/2019

विषयोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत करवाया जाता है कि इस प्रस्ताव की स्टेज–I स्वीकृति इस कार्यालय द्वारा दिनांक 02.07.2019 (प्रति संलग्न) को प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना रिपोर्ट वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर के पत्र क्रमांक 1434 दिनांक 18.12.2023 द्वारा निम्न प्रकार से प्राप्त हुई है:–

1. मद् संख्या 1 से 3 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी ने सी0ए0/एन0पी0वी0 इत्यादि की 720888/– रूपये की राशि चलान के माध्यम से जमा करवाई जा चुकी है।
2. मद् संख्या 4 के सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी यमुनानगर ने प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति भेजी गई है (प्रति संलग्न) जिसमें प्रयोक्ता एजैन्सी ने अंकित किया है कि 1 है0 से कम के प्रस्तावों में गैर वन भूमि दी जानी आवश्यक नहीं है।

उक्त मद् नं0 2 में अंकित स्थिति अनुसार यदि प्रयोक्ता एजैन्सी गैर वन भूमि देने के लिए सहमत नहीं है तो प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्तावित वन भूमि के दोगुणा प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि ली जानी बनती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि स्टेज–I स्वीकृति की मद् संख्या 4 में संशोधन करने का कष्ट करें ताकि तदानुसार प्रस्ताव में अन्य सी0ए0 साईट का चयन करके प्रस्तावित क्षेत्र के दोगुणा (0.5118 x 2= 1.0236 है0) अनुसार 1024 पौधें लगाने की स्कीम तैयार करवाकर बकाया सी0ए0 राशि प्रयोक्ता एजैन्सी से जमा करवाई जा सके।

संलग्न/उपरोक्त

8/1/24

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।

89 emailed-02-7-19 Approved in Principle

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष / फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः प्रशा–डी–तीन–8803 / 1217 दिनांकः 02-07-19

सेवा में

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
अम्बाला ।

विषयः Diversion of 0.5118 ha. of forest land for passage to Gram Panchayat Devdhar to Belgarh, Tehsil Chhachhrauli, under forest division and District Yamunanagar, Haryana.
Online Proposal No.FP/HR/Road/40068/2019
संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 353 दिनांक 20–5–2019 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670–व–2–2016 / 8430 दिनांक 6–5–2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.5118 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति / स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संलग्न संशोधित प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम अनुसार निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है :–

(i) प्रयोक्ता एजैन्सी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।
(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30–10–2002, 28–3–2008, 24–4–2008 एवं 9–5–2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0, दिनांक 5–2–2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजैन्ट वैल्यु जमा करवाई जाए ।
(iii) प्रयोक्ता एजैन्सी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में ही राशि जमा करवाएगी ।
(iv) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा दी जाने वाली समतुल्य 0.5118 है0 गैर वन भूमि का इन्तकाल तुरन्त वन विभाग के पक्ष में दर्ज करवाया जाए ।

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जाएगा ।

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
(ii) प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष / पौधा बाधक नहीं है इसलिए कोई वृक्ष / पौधा नहीं काटा जाएगा ।
(iii) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
(iv) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे ।
(v) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी ।

91

(vi) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(vii) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।

(viii) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा ।

(ix) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी ।

(x) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।

(xi) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।

(xii) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजैन्सी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्भों द्वारा चिन्हित की जाएंगी । प्रत्येक खम्भे पर कम संख्या, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक तथा एक खम्भे से दूसरे खम्भे की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जाएगी ।

(xiii) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय समाशोधन प्राप्त करेगी ।

(xiv) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।

(xv) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है ।

(xvi) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक 11-42/2017-FC दिनांक 29–1–2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(xvii) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजैन्सी की जिम्मेवारी होगी ।

4. उपरोक्त पैरा–2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा । *<u>अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा ।</u>*

2/7/2019

मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

प्रतिलिपि :–

1. अपर वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर ।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत देवधर, खण्ड खिजराबाद (यमुनानगर) ।

— 4

E/ikram folder/Patwar/ikram doc

107

वन विभाग हरियाणा
कार्यालयः– उप वन संरक्षक, यमुनानगर
दूरभाष 01732–237821

क्रमांकः 1484 दिनांकः 18/12/2023

सेवा में,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
पंचकूला।

विषयः– **Diversion of 0.5118 hac. of Forest land for Passage for Path from Gram Panchayat Devdhar to Belgarh Tehsil Chhachhrouli, under forest Division and Distt. YNR. Haryana. Online Proposal No. FP/HR/Road/40068/2019.**

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक प्रशा–डी–तीन–8803/1217 दिनांक 02.07.2019।

उपरोक्त सन्दर्भाकित पत्र के माध्यम से आप द्वारा जारी की गई स्टेज–1 की स्वीकृति की अनुपालना में यूजर एजैंसी द्वारा भारत सरकार की वैबसाईट से ऑनलाईन चालान जनरेट करके पूर्ण राशि जमा करवाकर बैंक चालान की प्रति, एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र तथा गैर वन भूमि बारे दिये गये शपथ पत्र सहित ऑनलाईन कम्पलाईंस कर दी गई है। जिसकी प्रति आपकी सेवा में साथ संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
यमुनानगर। 18/12/23

पृ0क0 1485 दि0 18/12/2023

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक उत्तरी परि0 अम्बाला को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
यमुनानगर। 18/12/23

69

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN ... CAMPA

Date : 04-07-2019

Agency Name.	PERMISSION FOR PATH FROM DEVDHAR TO BELGARH GRAM P
Application No.	6140068849
MoEF/SG File No.	[illegible]
Location.	HARAYANA
Address.	GRAM PANCHAYAT DEVDHAR & BELGARH, DISTT. YAMUNA NAYamunanagar
Amount(in Rs)	720888/-

Amount in Words :Seve... and Eight Hundred and Eighty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1000614000688849 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies ... Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

UTR NO PUNBR52019071118189202

326

11-7-19

Office of DCF YNR
Dairy No. ____ Date ____
DFO 2282 18-10-19
Dy Supdt
Steno
Acctt/Sale/Patwar/Gen/DP/Estt/Store

111

COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITATION OF FOREST RIGHTS) ACT, 2006.

Title of the case/project:- Diversion of 0.5118 hac. of Forest land for Passage for Path from Gram Panchyat Devdhar to Belgarh, Teshil Chhachhrouli, under Forest Division and Distt. Yamuna Nagar, Haryana.

It is certified that on the basis of Letter No. 650 Dated 29-05-2019 of Divisional Forest Officer, Yamuna Nagar that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and located Village Devdhar, Tehsil Jagadhri, District Yamuna Nagar having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census 2001 and the Census-2011.

Mukul Kumar.
Deputy Commissioner,
Yamuna Nagar.

Letter No. 3742 /S.K.
Dated:- 15-10-2019

DFO, YNR.
- Send the FRA certificate.
18/10

113

Ref. No. 1209 Year 2023

Date 23/10/2023

हम सरपंच ग्राम पंचायत देवधर तथा ग्राम पंचायत कन्यावाला अपने हल्फ से निम्नलिखित ब्यान करते है :–

1- यह कि हमारी ग्राम पंचायत द्वारा रेजूलेशन पास करके देवधर शमशान घाट से (वाया बेलगढ) कन्यावाला तक मुजादवाला जंगल के कच्चे रास्ते की एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमति हेतू प्रस्ताव (प्रपोजल न0 FP/HR/Road/40068/2019) अप्लाई किया गया था।

2- यह कि गाव बेलगढ में जाने हेतू कोई सरकारी रास्ता मौजूद नही है जिसके कारण बेलगढ व कन्यावाला के लोगो को आने–जाने के लिए खेतों के रास्ते का सहारा लेना पडता है।

3- यह कि इस प्रस्ताव में ग्राम पंचायत द्वारा कुल 0.5118 है0 वन भूमि का उपयोग किया जायेगा।

4- यह कि इस प्रस्ताव की मुख्य वन संरक्षक एफ0सी0ए0 हरियाणा पंचकूला के पत्र कमांक डी–3 8803 / 1217 दिनाक 02.07.2019 द्वारा स्टेज–1 की स्वीकृति जारी कर दी गई।

5- यह कि स्टेज–1 की स्वीकृति अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कुल 720888 / – रूप्ये की राशि जमा करवा दी गई थी।

6- यह कि वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर ने अपने पत्र कमांक 4659 दिनांक 27.10.2022 द्वारा ग्राम पंचायत को गैर वन भूमि का इंतकाल वन विभाग के नाम दर्ज करवाने बारे लिखा गया है।

7- यह कि हमारी जानकारी अनुसार एक हैक्टेयर से कम के प्रस्ताव में गैर वन भूमि दी जानी आवश्यक नही है।

उपरोक्त अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवा दी गई है। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृप्या इस प्रस्ताव की स्टेज–1 में दी गई गैर वन भूमि की शर्त हटवाने तथा प्रस्ताव की फाईनल स्वीकृति जारी करवाने का कष्ट करें।

Parveen Kumar
सरपंच, ग्राम पंचायत देवधर
खण्ड प्रतापनगर (य0नगर)

ATTESTED
SHAMSHER SINGH KAMBOJ
M.A. LL.B. Advocate
NOTARY, JAGADHRI
YAMUNA NAGAR
23/10/2023

सरपंच
ग्राम पंचायत कन्यावाला
खण्ड प्रतापनगर (यमुनानगर)

NOTARY
SHAMSHER SINGH KAMBOJ
YAMUNA NAGAR DISTRICT

115

5123 / 23/10/2023 10/1 Rishu Sharma ... CAL
Sarpanch Gram Panchayat
Kanyawala

...INDER SINGH
Court Complex, Jagadhri